राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

राजीव गांधी विधा भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन न. 0141–2715522, Email :- rajssa_gender@yahoo.co.in

क्रमांक : प.6 / रासशिप / जयपुर / बा.शि. / केजीबीवी / 2018–19 / दिनांकः / / 2018

ब्लॉक स्तरीय ''मीना मेला'' के आयोजन बाबत् दिशा–निर्देश

मीना मंच एवं गार्गी मंच के अर्न्तगत बालिकाओं के शिक्षा, विकास एवं सुरक्षा के अधिकार पर 14 नवम्बर से 20 नवम्बर के मध्य निम्नलिखित **दो कार्यक्रम** किया जाना सुनिश्चित करें। जिसकी थीम इस सत्र में होगी – ''बालिकाओं की कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षापूरी हो, इस हेतु बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा अपने स्कूलों के हर–एक बच्चे / बालिका के लिए सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण बनाना''।

1. 14 नवम्बर को बाल दिवस के उपलक्ष्य में समस्त विद्यालयों में मीना एवं गार्गी मंच के नेतृत्व में दो घण्टे बाल–अधिकारों की समझ बनाने पर एक गतिविधि का आयोजन किया जाये। कार्यक्रम एक के लिए गतिविधि के विवरण हेतु परिशिष्ट–1 देखें।

2. 20 नवम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक पर चयनित मीना मंचों के साथ मीना मेला का आयोजित किया जाये। मेले में प्रतिब्लॉक कुल विद्यालयों का 15 प्रतिशत स्कूल भाग लेंगे, जिसमें से कम से कम 10–12 प्रतिशत विद्यालय मीना मंच वाले होंगे और शेष 3–5 प्रतिशत गार्गी मंच वाले होंगे। कार्यक्रम दो के लिए गतिविधि के विवरण हेतु परिशिष्ट–2 देखें। *(नोट– 20 नवम्बर 1986 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार के चार्टर को लागू करने हेतु 140 देश हस्ताक्षरकर्ता हैं और कुल 196 देशों ने अनुसमर्थन दिया है। आज विश्व के 196 देश इस Convention on the Rights of Children (CRC) के हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। सीआरसी दस्तावेज में उल्लेखित बाल अधिकार का संक्षिप्त सूची हेतु* परिशिष्ट–3 *देखें।)*

ब्लॉक मीना / गार्गी मेला में उत्कृष्ट प्रर्दशन करने वाले मीना / गार्गी मंच की विशेष प्रयासों और मेले में प्रस्तुति के आधार पर समस्त ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए जिले में कुल 7 मीना मंच और 5 गार्गी मंच को चिन्हित किया जाये।

ब्लॉक स्तरीय मीना मेला निम्नानुसार आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें :–

1. सभी ब्लॉक्स में आयोजित मीना मेला में आपके स्वयं के स्तर पर मॉनीटरिंग की जाए एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को भी समस्त ब्लॉक की मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाए। सहायक जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक एवं कार्यक्रम समन्वयक – बालिका शिक्षा को सभी ब्लॉक स्तरीय मीना / गार्गी मेला में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करें।
2. ब्लॉक स्तरीय मीना मेला में मुख्य गतिविधियों की जानकारी हेतु परिशिष्ट–1 देखें।
3. ब्लॉक स्तरीय मीना मेला में प्रत्येक नोडल से सबसे सक्रिय मीना / गार्गी मंच से प्रतिभाग की सूची मंगवाकर, विद्यालयों के प्रतिभाग हेतु चिन्हांकन करें। मीना मेला में आमंत्रित मीना / गार्गी मंच में से 5 बच्चे (कम से कम 3 बालिकाएं) एवं एक मीना सुगमकर्ता भाग लेंगे।
4. संभागी मीना मंच का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जाये – (1) मंच द्वारा विद्यालय के समस्त बच्चों को सम्मिलित किया गया हो और गत दो सालों में सत्र पर्यन्त समस्त गतिविधियों का प्रभावी संचालन किया जा रहा हो। (2) मंच द्वारा किसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया गया हो, जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, छेड़छाड / उत्पीड़न इत्यादि। (3) मंच द्वारा ड्रॉप आउट / विद्यालय नहीं जाने वाली बालिकाओं को नामांकित कराया गया हो / उजियारी पंचायत के लक्ष्य में प्रशंसनीय सहयोग दिया गया हो। (4) मंच द्वारा कक्षा 8 के बाद भी गत दो सत्रों में बालिकाओं को शिक्षा से जोड़े जाने का प्रशंसनीय कार्य किया गया हो। (5) मंच के समस्त सदस्यों में आत्मविश्वास एवं जीवन कौशल परिलक्षित होता हो।
5. ब्लॉक पर कुल 6 से 13 मीना / गार्गी मंच प्रतिभाग करेंगे जिसकी सूची परिशिष्ट–4 पर संलग्न है। कुल प्रतिभाग करने वाले विद्यालया में से कम से कम 4–10 मीना मंच होंगे और शेष गार्गी

मंच ली जा सकेंगी।

6. मीना मेला में ब्लॉक आरपी (बालिका शिक्षा) की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
7. उक्त मीना मेला का आयोजन किसी स्कूल में कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि मेला का माहौल पैदा हो और मीना मंच की गतिविधियों और उसकी उपलब्धियों की जानकारी अधिकाधिक बच्चों एवं शिक्षक–शिक्षिकाओं तक पहुॅचे।
8. अधिक प्रतिभागी होने की स्थिति में मीना मेले का आयोजन 2 – 3 विद्यालयों में करवाया जाना सुनिश्चित करें। जिससे कि निश्चित समय में सभी मीना मंचों को अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्राप्त हो।
9. मेला के आयोजन से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं ब्लॉक आरपी (बालिका शिक्षा) द्वारा, मीना मंच एवं अध्यापिका मंच के प्रशिक्षकों एवं सक्रिय कार्यकताओं द्वारा संबंलन समिति बना कर सुनिश्चित की जाये।
10. मेला का संचालन प्रातः 10.00 बजे से सायं 3.40 बजे तक विद्यालय समय में किया जाये। ताकि सभी मीना मंचों को अपनी प्रस्तुतियां देने का पूरा अवसर प्राप्त हो। इस हेतु बालिकाओं के आवागमन की व्यवस्था हेतु सुगमकर्ताओं से संयोजन ब्लॉक आर.पी. द्वारा पूर्व में ही कर ली जाये।

    ध्यात्व्य रहे कि ब्लॉक से नोडलों की दूरी अधिक होने के कारण मेला निर्धारित समय पर समाप्त हो, जिससे बालिकाएं समय से अपने घर पहुंच सकें। इस हेतु यह आवश्यक है कि मेला, समय से प्रातः ठीक 10.00 बजे प्रारम्भ करवाया जाये।
11. ध्यान दें कि बालिकाएं ही मेले में विशिष्ट अतिथि है, अतः किसी अतिथि के कारण कार्यक्रम में विलम्ब नहीं किया जाये।
12. इस पर विशेष ध्यान दें कि किसी सुगमकर्ता की अनुपस्थिति के कारण बालिकाएं ब्लॉक स्तरीय मीना मेला में प्रतिभाग के अवसर से वंचित नहीं रह जायें।
13. आयोजन स्थल को रंगोली से सजाया जाये। सभी प्रतिभागियों का तिलक लगाकर स्वागत किया जायेगा एवं सभी का आगन्तुकों का पंजीयन करवाया जायेगा।
14. प्रत्येक मीना मंच को मीना कहानियों में अन्तर्निहित संदेश को उभारते हुये एक स्लोगन, चार्ट/तख्ती पर लिखकर लाने हेतु निर्देशित किया जाए। यह स्लोगन मीना मेला का माहौल बनाने के उद्देश्य से होंगे तथा बालिकाओं द्वारा विद्यालय से ही बनाकर लाये जायेंगे एवं मेला स्थल पर प्रदर्शित किये जायेंगे।
15. पूरे कार्यक्रम का संचालन कम से कम दो और अधिकतम पांच बालिकाओं द्वारा किया जाये। इस हेतु चयनित बालिकाओं की मंच संचालन पर तैयारी भी करवायी जाये।
16. मेला में अध्ययनरत किसी बालिका रोल मॉडल को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। जो कि प्रतिभाग करने वाली बालिकाओं का प्ररेणास्रोत बन सकें। इसके लिए राजकीय स्कूलों से पढ़कर किसी मुकाम तक पहुॅचने वाली बालिकाओं को भी आमंत्रित किया जाये ताकि वे अपने संघर्ष से प्रतिभागी बालिकाओं में साहस और ऊर्जा का संचार कर सके। उसके अतिरिक्त अधिकारी, जनप्रतिनिधि, कठिन परिस्थितियों से निकल कर किसी भी क्षेत्र में मुकाम हासिल करने वाली महिला, आदि को भी आंमत्रित किया जा सकता है।
17. चूंकि यह गतिविधि एक मेला है ना कि प्रतियोगिता। सक्रिय मीना मंच की बालिकाओं को एक्सपोज़र देने एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ब्लॉक से किसी एक श्रेष्ठ मीना मंच का चयन किया जाना है। चयन निष्पक्ष हो इस हेतु चयन समिति बनायी जाये जिसमें कुल तीन अथवा पांच व्यक्ति होगें – एक जिला परियोजना कार्यालय से, दूसरा ब्लॉक परियोजना कार्यालय से, तीसरा डायट अथवा एनजीओ से, शेष दो निर्णायक समुदाय/ केआरपी/किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ, हो सकेगें।

    इस मेला का मुख्य उद्देश्य सिर्फ प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना ही नहीं है, अपितु मीना मंच की बालिकाओं को एक्सपोजर देना, अनुभवों को साझा करना एवं सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को विकसित करना हैं। **अतः यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाना होगा कि किसी भी प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य लुप्त न हो जाए।**

18. समस्त ब्लॉकों पर मेला सुचारू रूप से आयोजित करवाने हेतु अपने जिले के समस्त सीबीईओ को उपरोक्तानुसार शीघ्र निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें।
19. बालिका शिक्षा (नवाचारी) 2018–19 के दिशा–निर्देशानुसार ब्लॉक स्तरीय मीना मेला रुपये 100/– प्रतिव्यक्ति प्रतिदिवस की दर से आयोजित किए जाएंगे। जिसमें प्रत्येक चयनित मंच से एक सगमकर्ता एवं 5 बच्चे शामिल होंगे। वित्तीय उपयोग हेत विस्तत विवरण हेत परिशिष्ट–5 देखें।
20. मेला आयोजन पश्चात तीन दिवस के अन्दर प्रतिवेदन जिला कार्यालय के माध्यम से राजस्थान स्कूल परिषद् जयुपर को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

नोट :– उपरोक्त संदर्भ में इस बात का ध्यान रखा जावे कि चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

बाल दिवस पर किये जाने वाली गतिविधियां

हमारे स्कूलों में 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस बनाया जाता है। इस साल हम २० नवंबर को हर साल बनाये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस को भी साथ में मनायेंगे। 20 नवंबर 1989 के दिन विश्व के लगभग सभी देशों ने माना कि बच्चों के भी अधिकार हैं और उसे संयुक्त रूप से इसका अनुसमर्थन किया। भारत भी इस मूलभूत बच्चों के अधिकारों का 1992 में अनुसमर्थन किया।

Rajasthan Council of School Education (RCSCE) in partnership with UNICEF is celebrating Chidlren's Day and World Children's Day between 14 Nov to 20 Nov. *Schools need to celebrate and create awareness on Rights of Children among children and teachers.*

यहाँ कुछ मूलभूत बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित गतिविधयां हैं जिन्हें अपना कर स्कूल यह तय करे की #बच्चा स्कूल के दिन को आनंद की तरह ले जिसमें गंभीर सन्देश भी हों।

1 **परिचय (2 मिनट) : " आज क्या तारीख है ? (14 नवंबर बाल दिवस है और 20 नवंबर को अंतराष्ट्रीय बाल दिवस है)**

आज का दिन ख़ास क्यों है? क्या आज किसी का जन्मदिन है? या और किसी वजह से खास दिन है? आज विश्व बाल दिवस है! पर उसका मतलब क्या हुआ? चलिये पता लगाते हैं "

2 गतिविधि- "बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं?"(10-20 मिनट):

"बच्चों को अपनी वृद्धि में क्या चाहिए जिससे की वो जितना बेहतर व्यक्ति बन सकें उतना बनें?" बच्चे कुछ इस तरह अपने को अभिव्यक्त करेंगे जैसे 'प्यार', 'सुरक्षा', 'शिक्षा', 'दोस्त', 'भोजन', इत्यादि।

अ) बच्चे व्यक्तिगत तौर पर या समूह में एक बच्चे का रेखाचित्र बनाएं और उसके अंदर या बाहर की तरफ उसकी ज़रूरतें लिखें।
ब) बच्चे एक दुसरे के आस पास एक बड़ी कागज की शीट पर या मैदान में चॉक से इसे बनाएं।(उन बच्चों के लिए जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं या जो इसे नहीं करना चाहते उनके प्रति संवेदनशीलता रखी जाए)।
स) बच्चे अख़बारों, पत्रिका और विज्ञापनों की मदद से बच्चों और उनकी ज़रूरतों का एक कोलाज बनाएं।
द) कहानी या प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती हुई कोई गुड़िया अथवा कठपुतली को परिचित कराइए।

3 गतिविधि-" मानवों की ज़रूरतों और मानवों के अधिकारों में क्या अंतर है?" (10 मिनट) :

अ) "आपने ऐसी बहुत सी चीज़ों को चिन्हित कर लिया होगा जो कि एक बच्चे के विकास के लिए एक बेहतर सम्भावना हों। इनमे से कुछ मानवीय आवश्यकताएं हैं...(कुछ उदाहरण पढ़ कर दें)। ज़रूरतें बहुत महत्वपूण हैं किंतु मानव अधिकार? क्या किसी ने मानव अधिकारों के बारे में कुछ सुना है? क्या हैं ये? मानवीय आवश्यकताओं और मानवीय अधिकारों में क्या अंतर है?" प्रतिक्रियाओं एवं विचारों के लिए प्रोत्साहित करें तब एक व्यक्ति इसका प्रदशन करते हुए बताए जिसने हाथ में पानी का एक गिलास पकड़ा हुआ हो।

ब) "मैं प्यासा हूँ। मुझे एक गिलास पानी चाहिए।" [व्यक्ति आपको पानी देता है] "आपका धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। मै आपका आभारी हूँ। अब आने वाला कल (अगले दिन) के लिए सोचें (कल्पना करें) मैं अब भी प्यास हूँ। मैं अब भी एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ! [जो व्यक्ति पानी लेकर खड़ा है उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहें कि वो आपको पानी नहीं दे]। [कक्षा को संबोधित करते हुए]" यहाँ शक्ति किसके पास है?" आप क्या क्या सोचते हैं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? आप क्या सोचते हैं कि वह जना क्या महसूस कर रहा होगा?" क्या यह उचित है? प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करें तब निष्कष उभारें: उसके पास सारी शक्तियां हैं। मेरे

है, जैसे की जिसका कोई स्वाभिमान नहीं है। वह मुझे पानी दे सकता है या अगले दिन नहीं भी दे, खुद के लिए रखे या उसे दे जो उसे ज़्यादा प्यारा लगे या जो जोर से चिल्ला सके।

स) "अब इसे फिर से करते हैं। मैं प्यासा हूँ । मुझे एक गिलास पानी का अधिकार है। क्या अंतर है?" प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करें एवं निष्कर्ष उभारें: अधिकारों के लिए सरकार ने वादा किया है कि यह पूरे हों। मिलें। यह कानून है। सरकार को मुझे पानी देना चाहिए और मुझे पानी के लिए सरकार को कहना चाहिए । इसकी हम दोनों के ही पास इसके लिए शक्तियां हैं।हमें एक दुसरे की भूमिका समझने के लिए मदद की आवश्यकता है। मैं अधिक सम्मानित एवं स्वाभिमान महसूस करता हूँ। यह बहुत उचित है। मानव अधिकार मूलभूत मानव आवश्यकता हैं , यह कानून भी हैं। इसलिए अधिकार, आवश्यकताओं से अधिक मजबूत एवं महत्वपूर्ण हैं। ये अधिक टिकाऊ, उचित एवं स्वभाविक हैं। सभी इंसानों के पास इंसान होने के तौर पर ये अधिकार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रंग, लिंग, राष्ट्रीयता , धर्म या कैसे भी हैं। हम सब इंसान हैं और हम सब के मानवीय अधिकार हैं। हमें अपने अधिकारों को समझना होगा और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना होगा। बच्चे (18 वर्ष से कम) अपने विकास के एक खास समय से गुज़र रहे होते हैं इसलिए उनके विशेष अधिकार होते हैं जिन्हें बाल अधिकार कहा जाता है।

4. गतिविधि-" बच्चों के सम्मेलन का वर्षगाँठ मुबारक हो (5 मिनट):

यह बहुत ही विशेष अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के अधिकारों के नाम से जाना या बोला जाता है । इसमें सभी मानव अधिकारों विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों को शामिल किया गया है। दुनिया के लगभग सभी देश इस पर सहमत हैं , और अंदाज़ा लगाइये यह क्या है? "यह आज सम्मेलन की वर्षगाँठ/ जन्मदिन है। इस पर 20 नवम्बर 1989 को सहमति बनी थी। या इसका जन्म हुआ था। इसलिए आज विश्व बाल दिवस है। सम्मेलन आज कितना पुराना हो गया है?... संभावित तरीके:

अ) सम्मेलन के लिए जन्मदिन मुबारक वाला गीत गाइये ।
ब) ऐसा केक लाइए जिस पर 28 मोमबत्तियां लगी हों।
स) ऐसा कार्ड बनाये जिसमे 28 साल की यात्रा दिखाई दे।
इस मौके पर जन्मदिन के कार्ड्स, सामाजिक संचार माध्यम या अन्य संदेशों के द्वारा एक उचित समारोह मनाएँ।

5. गतिविधि-"बच्चों के अधिकारों पर आधारित सम्मेलन को जानना" (15-30 मिनट):

सम्मेलन की विषय वस्तु से बच्चों को परिचित करवाना।
सम्भावित तरीके:

अ) 'ज़रूरतों' का 'आवश्यकताओं' से मिलान: सम्मेलन के आलेख को काट कर कार्ड्स का एक सैट बनाएं । इन कार्ड्स को फर्श पर इस तरह से फैला दें कि ये बच्चों को ठीक से नज़र आएं। अब बच्चे इनमे से 'अधिकार' और 'आवश्यकताओं' वाले काड्स को मिलाएं। जैसे की उन्होंने पहले " बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं?" गतिविधि में किया है। क्या इनमें से कोई ऐसी ज़रूरत है जो अधिकारों से नहीं जुडी हैं? (उदाहरणतः प्यार किए जाने या दोस्त होने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इन चीज़ों पर क़ानून का कोई दबाव अथवा मान्यता नहीं हो सकती, हालाँकि सम्मेलन 'ख़ुशी, प्यार और समझ की बात अपनी प्रस्तावना में करता।
विस्तार से समझने के लिए ऑनलाइन यूनिसेफ यू के की पुस्तक 'मिथ्स एंड मिसकन्सेप्शन' देखें; जिसमें अधिकारों के संधभ में विस्तार रूप में वणन है।

ब) सारे अधिकार सभी बच्चों के लिए ;
प्रत्येक बच्चा कोई भी एक काड अधिकारों से सम्बंधित चुने और समूह में इसे बताए की यह लेख दुनिया के किसी भी देश के बच्चों के लिए क्यों बहुत महत्वपूण है! इस पर चचा करते हुए इस तरह से भी आगे बढ़ाया जाए कि दुनिया के सभी देशों के बच्चों के समान हैं लेकिन कुछ बच्चों के सामने अपने अधिकारों के मुताबिक रहना आसान नहीं है। उदहारण के लिए दो देशों के उदहारण पेश करें और बताएं कि हम कैसे इसमें मदद कर सकते हैं कि सभी बच्चे अपने अधिकारों के साथ रह सकें। आनंदित हो सकें।

.

स) अधिकारों की संभावनाओं(कड़ियों) को जोड़ना/तलाश करना: प्रत्येक बच्चा अधिकारों वाला एक कार्ड चुने और कक्ष में घूमते हुए दुसरे बच्चे के पास पहुँचे कि जिसके पास अधिकारों का दूसरा कार्ड है। यह देखें कि किस तरह अधिकारों से सम्बंधित समूह बनते हैं।[इसे एक बॉल या तार के माध्यम से भी किया जा सकता है।] इनके बीच में क्या जुड़ाव की कड़ी है? किसका अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है? [सारे अधिकार एक दुसरे से जुड़े हुए हैं! जिन्हें विखंडित नहीं किया जा सकता] कोई भी अधिकार दुसरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरणतः शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ के अधिकार में सहायक है। एक अधिकार का उल्लंघन (उदाहरणतः गैरबराबरी) दुसरे सभी अधिकारों को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। 4 (चार) आलेख - child survival, child development (inclu education), child protection and child participation (incl. decision making) जिन्हें की सामान्य सिद्धान्त के रूप में जाना जाता है, इन्हें दुसरे अन्य आलेखों के साथ शामिल किया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं ये कौनसे हैं और क्यों।

द) याददाश्त/स्मृति खेल:
बच्चों के अधिकारों के कार्ड्स का एक सैट लें, इसे बच्चों के समूह में स्मृति खेल के रूप में खेलें। उदाहरणतः 5-10 कार्ड्स लें, प्रत्येक की दो प्रति लें और उन्हें उल्टा रखकर मिलादें। बच्चे अपनी बारी दो कार्ड्स को लें और एक जैसे दो कार्ड्स को मिलाएँ।

ई) छद्म/काल्पनिक(फेक) और वास्तविक अधिकार :
कुछ छद्मिक काड्स को वास्तविक अधिकारों वाले काड्स के साथ मिला दें। उदाहरणतः स्माट फोन का अधिकार, अच्छे जूते , पालतू जानवर, एक मज़ाकिया शिक्षक, पसंदीदा भोजन, एक साइकिल, स्कूल में अच्छी श्रेणी, चमकीला सूरज, घडी, टीवी, अपने कमरे को बेतरतीब रखना, तक, इत्यादि) बच्चों को छद्म काड्स को दशाने और उसे वणन करने को कहें कि यह क्यों छद्म या अवास्तविक अधिकार है। और कोई भी काड का चयन कर यह भी बताएं की कौनसा अधिकार वास्तविक औरकौनसा छद्म अधिकार है? शिक्षक भी कोई काड पढ़े और बच्चे इसे खड़े होकर, बैठकर या कक्ष में घूमते हुए बताएँ कि यह वास्तविक अधिकार है या छद्म अधिकार। यह बच्चों की उम्र पर भी निभर करेगा कि वे कुछ छद्म अधिकारों को सम्मेलन के अधिकारों के तौर पर गहराई से उस पर सोचेंगे।

एफ) बाल अधिकार संकेत चिन्ह (इमोजीस):
- बच्चे, बच्चों के अधिकारों को दशाने वाली इमोजिस(संकेत दृश्य) बनाएँ।

जी) विस्तार अथवा परियोजना गतिविधि:
बच्चे गृह काय के रूप में एक ऐसे अधिकार पर शोध/खोज करें, जिसमें यह पता लगे कि बच्चों के इस अधिकार को उनके अपने देश में और दुसरे देश में कितना सम्मान मिलता है। बच्चों को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह के उदाहरणों को दोनों ही सन्दर्भों में प्रोत्साहित करें।
बच्चे अपने अधिकारों के बारे में तैयारी कर उन्हें अपनी कक्षा में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में प्रस्तुत करें।

6. अभियान- बच्चों के अधिकारों के लिए कदम उठाएं, स्थानीय या वैश्विक! (15-30 मिनट):

" बच्चों की ज़िन्दगी बचाने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अपनी संभावनाओं को पाने, पूरा करने के लिए विश्व बाल दिवस पर दुनिया के बच्चे एक साथ आ रहे हैं, इकठ्ठा हो रहे हैं। विश्व बाल दिवस कोरा ख़ास संकेत मात्र नहीं है यह बच्चों द्वारा बच्चों के लिए उठाया गया कदम है जो बच्चों के बेहतर भविष्य की मांग करता है।तो हम मदद के तौर पर क्या कर सकते हैं?" बच्चे उन कार्यों को चिन्हित कर रहे हैं जो वे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय सन्दभ में बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
संभावित तरीके:

अ) यूनिसेफ के बाल अधिकार पैरवी अभियान को जानना/खोजना जो की आपके देश में सक्रिय है। अपने गांव में बाल अधिकार की पैरवी करना।

ब) बच्चे एक अधिकार विशेष का चुनाव करें और समूहों में उसे बढ़ाने के तरीकों की खोज करें। सम्भावना देखें।

स) बच्चे अपने स्कूल और स्थानीय समुदाय में उन अधिकारों का मानचित्रण करें जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिनमें सफलता मिली है उनको समारोह रूप में मनाएं एवं जहाँ कमियाँ हैं उनमें बदलाव के लिए प्रयास

करें। अपनी बात रखें।

ब्लॉक स्तरीय मीना मेला
अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर आयोज्य गतिविधि एवं दिशा–निर्देश

20 नवम्बर 2018 को आयोज्य ब्लॉक मीना मेले का आयोजन निम्नानुसार किया जाये। कार्यक्रम स्थल को बालिका–संवेदी एवं बाल–अधिकार प्रदर्शित करने स्थल के रूप में सुसज्जित किया जाये।

ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम समयसारणी

क्र. सं.	समय	गतिविधि
1	प्रातः 9.30 बजे से 10.00 बजे	पंजीकरण
2	प्रातः 10.00 बजे से 10.40 बजे	अनुभवों का आदान–प्रदान
3	प्रातः 10.40 बजे से 11.30 बजे	मीना कहानियों का नाट्य मंचन
4	मध्याह्न 11.30 बजे से 12.40 बजे	बाल अधिकार कार्यशाला
5	मध्याह्न 12.40 बजे से 1.20 बजे	प्रतिभागियों (कला व कौशल) एवं आयोजकों द्वारा प्रर्दशनी
6	मध्याह्न 1.20 बजे से 2.00 बजे	मध्याह्न भोजन एवं विश्राम
7	मध्याह्न 2.00 बजे से 3.00 बजे	व्यावहारिक जीवन में आने वाली समस्यों का समाधान
8	अपराह्न 3.00 बजे से 3.30 बजे	खेलकूद गतिविधियां
9	अपराह्न 3.30 बजे से 3.40 बजे	मीना गीत एवं समापन

1. **पंजीकरण एवं स्वागत**
   पंजीकरण, स्लोगनों का प्रदर्शन एवं कार्यक्रम और इसके संचालन हेतु इसके नियमों पर जानकारी देना।

2. **अनुभवों का आदान–प्रदान**
   इस गतिविधि के अन्तर्गत प्रत्येक मीना मंच/बालिका अपने–अपने मंच के अनुभवों को साझा करेंगे।
   - निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया जा सकता है –
     - मीना मंच/बालिका द्वारा बालिकाओं की किसी विशेष समस्याओं को सुलझाया गया हो। (दस्तावेज के साथ)
     - मीना मंच /बालिका द्वारा कोई सामाजिक कुरीति को दूर करने का प्रसास किया गया हो। (दस्तावेज के साथ)
     - बालिका शिक्षा एवं बाल अधिकारों हेतु सामाजिक जागरूकता बढ़ायी हो/पहल की हो।
     - विद्यालय में पढ़ाई के माहौल को विकसित करने में मीना मंच/बालिका द्वारा की गई पहल।
     - मीना समूह/बालिका की सक्रिय भागीदारी से विद्यालय में कितनी ड्रॉप–आउट/अनामांकित बालिकाओं का नामांकन हुआ है। (तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाए)
     - बालिकाओं की उपस्थिति को बढ़ाने हेतु किये गये प्रयास। अनियमित बालिकाओं की उपस्थिति में कितनी वृद्धि हुई हैं।(तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाए)
     - इनके अतिरिक्त भी कोई उल्लेखनीय कार्य किए गये हों तो उन्हे भी शामिल किया जा सकता हैं।
   - एक स्कूल से अधिकतम श्रेष्ठ तीन अनुभवों को साझा किया जाये।
   - समयसीमा – अधिकतम 5 मिनिट प्रति मीना मंच।
   - उक्त गतिविधि को समूहवार ना करवाकर इसे सीधे ही बड़े समूह में आयोजित करवाई जाये।
   - प्रस्तुतियों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर करें कि किये गये प्रयास बालिकाओं – स्वयं/अन्य, के जीवन में कितना व्यापक परिवर्तन से जुड़े हैं।

3. **मीना कहानियों का नाट्य मंचन**
   - कहानी का चयन मीना कहानियों में दी गयी सामाजिक/पारिवारिक/व्यक्तिगत चुनौतियों में से

किया जाये।

- किसी एक–दो कहानियों की बारम्बार पुनारवत्ति से बचने हेतु यथा संभव सभी नोडल स्कूलों को विविध कहानियां चुनने हेतु प्रेरित किया जाये।
- चयनित कहानी का स्क्रिप्ट तैयार कर उसका नाटक के रूप मंचन किया जाये।
- वेशभूषा के लिए मीना किट्स में दिए मुखौटे का उपयोग किया जा सकता हैं, आवश्यकता होने पर चार्टशीट, कपड़े आदि से साज–सज्जा की सामग्री का निर्माण किया जा सकता हैं।
- समय सीमा – अधिकतम 4 मिनिट प्रति मीना मंच।
- निर्णायक निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही मूल्यांकन करें –
  - कहानी का चयन।
  - कहानी का नाटक विधा में परिवर्तन का स्तर।
  - संवाद का तरीका ।
  - पात्रों का आपसी समन्वय/तालमेल।

4. **बाल अधिकार कार्यशाला**
   - बाल अधिकारों पर किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित कर प्रतिभागी बच्चों के साथ बाल विवाह, बाल श्रम, पोक्सो एक्ट पर कार्यशाला करायी जाये। कार्यशाला में बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित हों जिससे बच्चे स्वयं को सहज महसूस कर सके और अधिकाधिक लाभन्वित हो सकें।

5. **व्यावहारिक जीवन में आने वाली समस्यों का समाधान**
   - मीना कहानियों में जिस प्रकार से 'मीना' अपनी और अपने साथियों के समस्याओं का समाधान करती है, उसी कौशल को मीना की कहानियों द्वारा बालिकाओं में भी विकसित किया जा रहा है। उनके इस कौशल में आये परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक मीना मंच को बालिकाओं के स्कूल, परिवार एवं समाज से जुड़ी जैण्ड़र आधारित व्यवहारिक चुनौतियों/समस्याओं/कुरीतियों आदि पर प्रश्न दिया जाये जिसपर बालिकाएं आपस में सलाह करके प्रस्तुतीकरण करेंगी।
   - संचालक 8–10 समस्याओं की पर्ची बनाएगा तथा किसी भी एक बालिका से एक पर्ची उठाने के लिए कहेगा। उठाई गई पर्ची में निर्दिष्ट समस्या के समाधान हेतु सभी समूहों जिनमें उपरोक्तानुसार 4–4 छात्राएं होंगी, को चार्ट पेपर पर समूह में चर्चा करते हुये लिखने के लिए 20 मिनट दे। तत्पश्चात प्रत्येक समूह से प्रस्तुतीकरण करवाया जाए।
   - इस गतिविधि में मुद्दों/समस्या का चयन पूर्व में ही मीना मंच संबलन समिति द्वारा कर लिया जाये। समस्या का चयन ब्लॉक की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं प्रचलित जेण्डर आधारित धारणाओं/पूर्वाग्रहों को देखते हुए किया जाये।
   - चयनित मुद्दों को प्रश्नों में परिवर्तित किया जाये जैसे आपकी किसी सहेली का 15 वर्ष की उम्र में विवाह होने की सम्पूर्ण तैयारी हो चुकी है। इस स्थिति में उस बालिका की सहेली होने के नाते आप क्या कदम उठायेंगी व क्यों?
   - समय सीमा – चर्चा हेतु अधिकतम 20 मिनिट एवं प्रस्तुतीकरण हेतु अधिकतम 2 मिनिट प्रति मीना मंच।
   - निर्णयकर्ता प्रस्तुतिकरण के समय निम्न सूचकों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करें –
     - समस्या का श्रेष्ठ समाधान किस मंच का हैं ?
     - समूह द्वारा कही गई बात का औचित्य/तार्किकता का स्तर कैसा है ?
     - समूह में आत्मविश्वास का स्तर कैसा है ?

6. **खेलकूद प्रतियोगिताएं**

बालिकाओं को खेल में प्रोत्साहन देने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने और वातावरण को सहज बनाने हेतु बच्चों के साथ खेलकूद की कुछ गतिविधियां भी करवायी जायें जैसे खो–खो, कब्ड्डी, रस्साकस्सी, 3 पांव की दौड़, आदि।

अथवा

बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण पर डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म

.

संभागी बालिकाओं को जेण्ड़र समानता, बराबरी के अवसर, लिंग आधारित भेदभाव पर संवेदनशीलता, यौन हिंसा पर जागरूकता, महिला सशक्तिकरण पर जागरूक करने और विभिन्न उदाहरणों अथवा फिल्म के माध्यम से प्रोत्साहित करने हेतु एक फिल्म अथवा दो–तीन डॉक्यूमेन्ट्री दिखायी जाये। फिल्म प्रर्दशन के बाद आवश्यक रूप से छोटे समूहों में संवाद भी किया जाये। संवाद/चर्चा हेतु मीना मंच अथवा अध्यापिका मंच की सक्रिय अध्यापिकाओं तथा गैर–सरकारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को इसमें आमंत्रित किया जा सकेगा।

7. **कला व कौशल पर प्रदर्शनी**

इस गतिविधि के अर्न्तगत चित्रकला एवं हस्तकौशल प्रदर्शनी का आयोजिन किया जाये।

चित्रकला प्रर्दशनी

- इसके अर्न्तगत प्रत्येक मीना मंच को स्कूल से ही तैयारी करके लाने को कहा जाये।
- चित्रकला का विषय विद्यालय स्तर पर तय किया जाये जो कि समसामयिक एवं समाजिक मुद्दों पर आधारित हो और बालिकाओं के जीवन से संबंधित।

हस्तकला एवं हस्तकौशल प्रतियोगिता

- इसके अर्न्तगत प्रत्येक मीना मंच को स्कूल से ही तैयारी करके लाने को कहा जाये।
- प्रति मीना मंच अधिकतम दो हस्तकलाओं का प्रदर्शन किया जा सकेगा।
- निर्णायक निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही मूल्यांकन करें –
  - मीना मंच द्वारा चयन की गयी हस्तकला आइटम जो कि जेण्डर स्टीरियोटाइप न हों।
  - बालिकाओं के कौशल का स्तर एवं बनायी गयी वस्तु की फिनीशिंग।
  - हस्तकला से जुड़ी आवश्यक ज्ञान की बालिकाओं को जानकारी।

8. **आयोजक विद्यालय द्वारा प्रदर्शनी**

मेले के आयोजन में आयोजक विद्यालय विभिन्न स्टॉल को लगाने का दायित्व ले। स्टॉल विभिन्न मुद्दों पर जानकारियों संबंधी पोस्टर, प्रश्नोत्तरी, आदि की प्रदर्शनी के स्वरूप में लगाया जा सकेगा।

9. **मीना गीत एवं समापन**

गत सत्र में राज्य स्तरीय मीना मेला के दौरान चयनित मीना गीत का ब्लॉक स्तरीय मीना मेला के अंत में सामूहिक गायन किया जाये।

समापन में बालिकाओं में उत्साह और उमंग का संचार करते हुए उन्हे आगे बढ़ने और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का मजबूती से समाना करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

नोट

- कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाये। पानी की सुविधा सहित शौचालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करें।
- बच्चों हेतु प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाये।
- बालिकाओं को उनके अधिकारों की जानकारी हो और विभिन्न प्रकार की हिंसा को कैसे विरोध किया जाये, इस हेतु आधे घण्टे हेतु कार्यशाला का भी आयोजन किया जा सकता है।

बाल सुलभ भाषा में

बच्चों के अधिकार

शिक्षा, विकास, सहभागिता एवं सुरक्षा के अधिकार पर जानने योग्य बिन्दु

◆ *निर्देशक सिद्धान्त*

बच्चों के लिए बच्चों के अधिकार मानव अधिकार हैं। 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार सम्मेलन इसका अंतर्राष्ट्रीय सहमति अथवा संधि वर्ष है जब बच्चों के अधिकार विशेष रूप से चिन्हित किए गए।

अधिकार वह पात्रता है जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। सभी बच्चों के पास वही समान अधिकार हैं। बच्चों के ये अधिकार सम्मेलन में सूचीबद्ध किए गए जिन पर सभी देश उनके सम्मान सहित अभ्यास हेतु सहमत हुए। सभी अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी समान रूप से महत्व रखते हैं। इन्हें बच्चों से दूर नहीं किया जा सकता।

● *बच्चों के अधिकार हैं:*

1. **संरक्षण**
   यह किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण एवं स्थितियों से संरक्षण है ।

2. **प्रावधान**
   शिक्षा, स्वास्थय, देखभाल और उचित जीवन के मानकों का है।

3. **भागीदारी**
   बच्चों को गंभीरता पूर्वक सुने जाने एवं किसी भी संगठन से सम्बन्ध होने में भागीदारी का अधिकार है।

4. **विशेष संरक्षण एवं प्रावधान**
   किसी विशेष जनसंख्या का हिस्सा होने पर, जैसे कोई देशज अथवा दिव्यांगता।

सम्मेलन में बच्चों के अधिकारों को 54 आलेखों के माध्यम से रखा गया है एवं "ऐच्छिक मसविदे" के तौर पर अतिरिक्त अधिकारों के रूप में भी रखा गया है। सम्मेलन चार सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया। 1.गैरबराबरी विहीन 2. बच्चों का सर्वाधिक हित 3. ज़िन्दगी, जीवन यापन और विकास (आलेख 6) गंभीरतापूर्वक सुने जाने एवं अपनाये जाने (आलेख 12)। यूनिसेफ एक मात्र संगठन है जिसे विशेषज्ञ सहायता एवं सलाह के लिए नामित किया गया है।

अपने मिशन स्टेटमेंट(बयान) के अनुसार "यूनिसेफ सम्मेलन के द्वारा बच्चों के अधिकारों को चिरस्थायी करने के लिए इसके नैतिक सिद्धांतों और बच्चों के प्रति होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के प्रति मार्गदर्शित करेगा।

बच्चों के अनुकूल भाषा में बच्चों के अधिकार

1. अठारह साल से कम उम्र के लोगों के लिए इस सम्मेलन के अधिकार हैं।

2. ये अधिकार सभी बच्चों के हैं, इससे फक नहीं पड़ता कि वे कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उनके माता पिता क्या करते हैं, वो कौनसी भाषा बोलते हैं, उनका धम और संस्कृति क्या है, लड़का हो या लड़की, या कि कोई दिव्यांगता, अमीर हों या गरीब। किसी भी बच्चे के साथ किसी भी आधार पर अनुचित बताव नहीं किया जा सकता।

3. वयस्कों को वह करना चाहिए जो बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। जब वयस्क कोई फैसला लें तब यह ध्यान में रखें कि यह बच्चों को किस प्रकार प्रभावित करेगा।

4. सरकार् को अपने उपलब्ध सभी संसाधनों से सम्मेलन में तय बच्चों के अधिकारों का क्रियान्वयन करना होगा।

5. सरकारों को परिवारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए ताकि बच्चें बड़े होकर अपने अधिकारों का पूणतया उपयोग कर सकें।

6. प्रत्येक बच्चे को जीने, जीवनयापन एवं विकास का अधिकार है।

7. बच्चों को "नाम" का अधिकार है और इसे सरकार द्वारा अधिकारिक तौर पर पहचाना जाना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीयता का अधिकार है(किसी देश का होने पर)।

8. बच्चों को पहचान का अधिकार है, जिसे अधिकारिक मान्यता हो । इसे किसी के द्वारा उनसे अलग न किया जाए।

9. जब तक कि बच्चों के हित में ना हो उन्हें अपने माता पिता से अलग नहीं किया जाए। यदि किसी बच्चे के माता पिता अलग हो गए हों और इसमें बच्चों को किसी प्रकार का खतरा न हो ऐसे में वे दोनों के संपक में रह सकते हैं।

10. यदि बच्चा अपने माँ बाप से अलग देश में रहता है तो बच्चे को उसी स्थान पर उनके साथ रहने का अधिकार है।

11. सरकार को बच्चों को उनके अपने देश से अवैधानिक रूप से बाहर ले जाने को रोकना चाहिए।

12. बच्चों को अपनी राय देने का अधिकार है और वयस्कों को गंभीरतापूवक सुना जाना चाहिए।

13. बच्चों को किसी चीज़ के बारे में पता करने का और वे क्या सोचते हैं उसे लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है, इसे बातचीत करके, चित्र द्वारा, लिखित में या किसी भी अन्य तरीके से किया जा सकता है यदि वह लोगों को नुकसान ना पहुँचाता हो।

14. बच्चों को अपना धम व विश्वास चुनने का अधिकार है। सही,गलत को पहचानने एवं उनके लिए क्या बेहतर है यह चुनने में माता पिता को बच्चों को मागदर्शित करना चाहिए।

15. बच्चों को अपने दोस्त चुनने एवं समूह बनाने या समूह से जुड़ने का अधिकर है जब तक कि वह दूसरों के लिए नुकसानदायक न हो।

16. बच्चों को अपनी निजता का अधिकार है।

17. बच्चों को उनके भले की सभी सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार है जो कि रेडियो, अखबार, किताबों, कंप्यूटर एवं अन्य स्रोतों से मिलती है। वयस्कों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की बच्चे जो सूचना प्राप्त कर रहे हैं वह उनके लिए नुकसानदायक न हो और बच्चों को जो सूचना चाहिए उसे समझाना और उनकी मदद करनी चाहिए।

18. बच्चों को अपने माता पिता द्वारा बड़ा किए जाने का अधिकार है। सरकार को माता पिता की विभिन्न सेवाओं के द्वारा मदद करनी चाहिए खासकर यदि माता पिता दोनों कामकाजी हैं।

19. सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों की ठीक से देखबाल हो, उन्हें हिंसा, गाली और नकारात्मकता से किसी भी

.

व्यक्ति से बचाए कि जो उनकी देखबाल करता हो।

20. यदि बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं रहते हैं तो उन्हें विशेष देखबाल का अधिकार है।

21. गोद लिए जाने पर बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखा जाए।

22. यदि शरणार्थी हैं तो बच्चों को विशेष संरक्षण एवं मदद का अधिकार है, साथ ही इस सम्मेलन के सभी अधिकारों का भी।

23. बच्चे यदि दिव्यांग हैं तो उन्हें अपने सम्पूण जीवन हेतु विशेष शिक्षा और देखभाल का अधिकार है।

24. बच्चों को स्वास्थय, पीने का सुरक्षित पानी, पौष्टिक भोजन, एक साफ़ और सुरक्षित माहौल और सूचना का अधिकर है।

25. बच्चे अगर किन्हीं हालातों में अपने घर से दूर रह रहे हैं तो उन्हें उस स्थान का और रहने की व्यवस्थाओं का नियमित निरिक्षण करवाने का अधिकार है।

26. गरीब परिवारों के बच्चों को सरकार अतिरिक्त पैसा प्रदान करे।

27. बच्चों को भोजन, वस्त्र और रहने के लिए सुरक्षति जगह का अधिकार है जहाँ उनकी शारीरिक एवं मानसिक ज़रूरतें पूरी होती हों, जो परिवार इसे वहन नहीं कर सकते वहाँ सरकार को परिवार व बच्चे की मदद करनी चाहिए।

28. बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। स्कूल का अनुशासन बच्चे की मयादा का सम्मान करे। प्राथमिक शिक्षा मुफ्त एवं अनिवाय हो। बच्चे को विद्यालय के उच्चतम स्तर तक जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

29. बच्चे की शिक्षा उसके विकास और प्रतिभा को पढ़ाने में मदद करे। यह बच्चों को दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, शांतिपूवक रहने एवं पयावरण को बढ़ाने में मदद करने वाली हो।

30. बच्चों को अपनी संस्कृति, भाषा और धम के अनुसार रहने का अधिकार है। चाहे जिस स्थान पर रहतें हों वहाँ ये बहुमत में ना हों तब भी इन्हें अपने अनुसार आचरण का अधिकार है।

31. बच्चों को खेलने, आराम करने एवं निश्चिन्त रहने का अधिकार है और सांस्कृतिक कलात्मक कायक्रमों में भागीदारी भी इसमें शामिल है।

32. बच्चों को उन कार्यों से बचने का अधिकार है जो उनको नुकसान पहुँचाते हों । उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हों। यदि वे कोई काम करते हैं तो उन्हें सुरक्षित और इसके लिए उचित भुगतान मिलना चाहिए।

33. बच्चों को हानिकारक नशे और उसके व्यापार से संरक्षण का अधिकार है।

34. बच्चों को किसी भी प्रकार की गाली और दुव्यवहार से बचने का अधिकार है।

35. सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों का अपहरण, उनकी खरीद फरोख्त और बेदखली ना हो।

36. बच्चों को सभी प्रकार के शोषणों से मुक्त रहने का अधिकार है।

37. यदि कोई बच्चा कानून का उल्लंघन कर देता है तो उसे मारा नहीं जा सकता, उसे यातना नहीं दी जा सकती, क्रूरता से पेश आना, जेल में डालना और वयस्क कैदियों के साथ नहीं रखा जा सकता। कैद अंतिम विकल्प के तौर पर न्यूनतम समयावधि के लिए हो सकती है। कैद में रहने वाले बच्चे को कानूनी सहायता संभवतः मिले और उसे अपने परिवार के संपक में रहने दिया जाए।

38. बच्चों को युद्ध से संरक्षण और स्वतंत्रता का अधिकार है। बच्चों को सेना में जाने अथवा युद्ध में भाग लेने को बाध्य नहीं किया जा सकता।

39. यदि बच्चे चोटिल हुए हैं या उन्हें नकारा गया है या उनके साथ बुरा बताव किया गया है तो उन्हें उनके स्वास्थ्य और मयादा को पुनः प्राप्त करने का अधिकार है।

40. न्यायिक व्यवस्था में बच्चों को कानूनी, विधिक मदद लेने और उचित व्यवहार प्राप्त कर अपने अधिकारों का सम्मान करने का अधिकार है।

41. इस सम्मेलन में उल्लेखित किये गए कानूनों से भी बेहतर यदि कोई देश बच्चों के लिए कुछ अधिकारिक रूप में करता है तब

.

उसे सभी बच्चों पर लागू किया जाना चाहिए।

42. बच्चों को अधिकार है कि वे अपने अधिकारों को जाने। वयस्कों को इन अधिकारों को जानना और बच्चों को इन्हें जानने में मदद करनी चाहिए।

43. से 54.- इन आलेखों में यह वर्णित है कि सरकारों को और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे, यूनिसेफ को बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार काम करना चाहिए।

.

परिशिष्ट–4

प्रतिब्लॉक प्रतिभागी मीना/गार्गी मंच की संख्या–सूची

S.N.	District Name	No of Block	Phy target for the block (No. of Manch per block)	Phy. Target for the district (No of Manch per district)
1	Ajmer	10	10	100
2	Alwar	14	12	168
3	Banswara	11	6	66
4	Baran	7	8	49
5	Barmer	17	13	221
6	Bharatpur	10	9	90
7	Bhilwara	12	13	156
8	Bikaner	7	9	63
9	Bundi	5	10	50
10	Chittaurgarh	11	9	99
11	Churu	7	11	77
12	Dausa	6	11	66
13	Dhaulpur	5	6	30
14	Dungarpur	10	6	60
15	Ganganagar	9	10	90
16	Hanumangarh	7	8	56
17	Jaipur	19	11	190
18	Jaisalmer	3	10	30
19	Jalore	8	10	80
20	Jhalawar	8	12	96
21	Jhunjhunu	8	10	80
22	Jodhpur	17	8	136
23	Karauli	6	9	48
24	Kota	6	9	54
25	Nagaur	14	11	154
26	Pali	10	12	110
27	Pratapgarh	5	8	35
28	Rajsamand	7	12	84
29	S. Madhopur	6	6	36
30	Sikar	9	13	108
31	Sirohi	5	4	20
32	Tonk	6	13	72
33	Udaipur	17	8	136
Total			302	321

ब्लॉक मीना मेला आयोजन के वित्तीय प्रावधान

भौतिक लक्ष्य – प्रतिविद्यालय 5 मीना/गार्गी मंच सदस्य एवं 1 सुगमकर्ता।
ब्लॉक का भौतिक लक्ष्य – निम्नानुसार कुल विद्यालयों का 15 प्रतिशत।

S.N.	District Name	Total Phy. Target for the district (No of Manch /dist.)	Unit Cost (Rs. 100 x 6 persons)	Budget
1	Ajmer	100	600	60,000
2	Alwar	168	600	1,00,800
3	Banswara	66	600	39,600
4	Baran	49	600	29,400
5	Barmer	221	600	1,32,600
6	Bharatpur	90	600	54,000
7	Bhilwara	156	600	93,600
8	Bikaner	63	600	37,800
9	Bundi	50	600	30,000
10	Chittaurgarh	99	600	59,400
11	Churu	77	600	46,200
12	Dausa	66	600	39,600
13	Dhaulpur	30	600	18,000
14	Dungarpur	60	600	36,000
15	Ganganagar	90	600	54,000
16	Hanumangarh	56	600	33,600
17	Jaipur	190	600	1,14,000
18	Jaisalmer	30	600	18,000
19	Jalore	80	600	48,000
20	Jhalawar	96	600	57,600
21	Jhunjhunu	80	600	48,000
22	Jodhpur	136	600	81,600
23	Karauli	48	600	28,800
24	Kota	54	600	32,400
25	Nagaur	154	600	92,400
26	Pali	110	600	66,000
27	Pratapgarh	35	600	21,000
28	Rajsamand	84	600	50,400
29	S. Madhopur	36	600	21,600
30	Sikar	108	600	64,800
31	Sirohi	20	600	12,000
32	Tonk	72	600	43,200
33	Udaipur	136	600	81,600
Total		2,910		17,46,000

वित्तीय प्रावधान – रुपये 100 प्रतिव्यक्ति।

1. भोजन व्यवस्था ;नाश्ता एवं लंचद्ध– रुपये 30/– प्रतिव्यक्ति
(नोट– आयोजक विद्यालय के बच्चों हेतु लंच मिड–डे–मील द्वारा होगा।)
2. आयोजन व्यवस्था – रुपये 20/– प्रतिव्यक्ति।
(1) स्टेशनरी, स्टॉल व अन्य व्यवस्थाएं। (2) फोटोग्राफी व डाक्यूमेन्टेशन। (3) संभागी मंच को प्रोत्साहन सामग्री।
3. यात्रा भत्ता – रुपये 50/– प्रति संभागी
संभागियों का वास्तविक यात्रा भत्ता देय होगा। वास्तविक यात्रा भत्ता रुपये 50 से अधिक होने पर उक्त गतिविधि/बालिका शिक्षा की बचत राशि/प्रबंधन मद से देय होगा। भुगतान यथासंभव कार्यक्रम स्थल पर करें।

गतिविधि रिपोर्टिंग प्रपत्र

1. आयोजक विद्यालय का नाम –
2. आयोजक विद्यालय में बच्चों का नामांकन – बालक–बालिका
3. भाग लेने वाले मंचों की संख्या – 1. मीना मंच ..... 2. गार्गी मंच .....
4. भाग लेने वाले मंचों से बच्चों की संख्या –
   1. मीना मंच ..... बालक–बालिका
   2. गार्गी मंच ..... बालक–बालिका
5. संभागी विद्यालय से सुगमकर्ताओं की संख्या – पुरूष/महिला
6. आयोजक विद्यालय की गतिविधि में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या – बालक–बालिका

7. बाल–अधिकार पर चर्चा किये गये विषयवस्तु – 1. ..... 2. ..... 3. .....
8. राप्राशिप जयपुर भेजे जाने हेतु क्या किसी पत्र का चयन हुआ (संख्या) –
   शिक्षक ..... / अभिभावक .....
9. श्रेष्ठ मीना मंचों के विद्यालयों नाम एवं किये गये प्रयास कर विवरण (केस स्टडी संलग्न करें)
10. आमंत्रित रोल मॉडल का नाम एवं विवरण (संलग्न करें)

विशेष – किसी 3 बेस्ट फोटो को संलग्न करें।